प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 जुलाई, 2021

विषयः-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-PGI/CIVIL/Engg/NB-91/2013/535/2020 दिनांक 20-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान लखनऊ में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-393/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक मार्च 04, 2014 द्वारा रू0 5711.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये करते हुए निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की गयी है:-

क्र	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-1875/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 22 सितम्बर, 2014	2284.62
2	संख्या-7/3867/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2014	479.77
3	संख्या-1073/71-2-16-पी-15/2013, दिनांक 31 मार्च, 2016	500.00
4	संख्या-143/2018/3287/71-2-2018-पी-15/2013, दिनांक 29.11.2018	830.915
5	संख्या-16/2020/458/71-2-2020-पी-15/2013, दिनांक 19 फरवरी, 2020	299.67
6	संख्या-01/2020/4510/71-2-2020-पी-15/2013, दिनांक 01 जनवरी, 2021	571.15
	योग	**4966.125**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्थान के पत्र दिनांक 20-11-2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में संस्थान परिसर में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 6139.72 लाख (रूपये इकसठ करोड उन्तालिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. संस्थान एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान एवं कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
3. प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर, डी0जी0सेट, कम्प्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम, इ0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, एवं लिफट की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागर में अन्तर आना स्वभाविक है। अत: संस्थान एवं कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
4. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलत न हो।
5. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को लागत प्रायोजना की अनुमोदित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सस्थान को होगा।
7. प्रायोजना की लागत का अनुमोदन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। निदेशक, संस्थान द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
8. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
11. व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
12. प्रश्नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।
14. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
15. शासनादेश संख्या-393/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 की सुसंगत शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।
16. प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि व कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाए। कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
17. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या3-ई-516/दस-2021-2022 दिनांक 07/07/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in